

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं  
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

No. F.DOHFW/BSBY/1008(1)/UH/M&H/ 29

Dated : 13/12/15

कार्यालय आदेश

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सफल संचालन हेतु पूर्व में निर्धारित 170 पैकेजेज में से 117 को सभी चिकित्सालय (निजी एवं सरकारी) के लिए ओपन किये जाते हैं इसके साथ सरकारी चिकित्सा संस्थानों के लिए बचे हुये 53 पैकेजेज तथा 14 अन्य पैकेजेज को संरक्षित करते हुये इनकी कुल संख्या 67 की गई है।

बैठक में लिए गए निर्णयों की संस्तुती के पश्चात् कुल सेकेण्डरी पैकेजेज की संख्या 1148, टर्सरी पैकेज 500 जो सभी के लिए उपलब्ध है एवं 67 पैकेजेज सिर्फ सरकारी संस्थानों के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा सभी पैकेजेज में Length of stay भी निर्धारित किया गया।

सूची संलग्न हैं।

संयुक्त शासन सचिव  
चि. एवं स्वा. एवं  
अति. मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
7. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.)/ (आर.सी.एच.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (समस्त जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
10. सलाहकार आई.एस.सी., एन.एच.एम. राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिल प्रजजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
14. महाप्रबन्धक न्यू इन्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड।
15. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल करवाने व वेबसाइट पर अपलोड हेतु सूचित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
चि. एवं स्वा. एवं  
अति. मिशन निदेशक, एनएचएम